स्पीड पोस्ट/कैम्प बैग द्वारा

# भारत निर्वाचन आयोग

ई पी ए बी एक्स **011-23717391 – 98**
फैक्स **011 – 23713412/23739944**
निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली-**110 001** वेबसाइट **:**
www.eci.nic.in

सं**. 576/14/**ईपीएस**/2017** दिनांकः अक्तूबर, **2017**

सेवा में

**1.** मुख्य सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला
**2.** मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश-शिमला

**विषय: हिमाचल प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2017 – मदिरा इत्यादि की बिक्री पर प्रतिबंध - तत्संबंधी।**

महोदया/महोदय,

आयोग ने अपने प्रेस नोट दिनांक **12** अक्तूबर**, 2017** के द्वारा हिमाचल प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2017 के लिए अनुसूची की घोषणा की है। इस संबंध में, मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** की धारा **135** ग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें यह उपबंध किया गया है कि किसी मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजनालय, शराबखाना, दुकान में अथवा अन्य किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक मदिरा या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ न तो विक्रय किए जाएंगे, न दिए या वितरित किए जाएंगे।

**2.** ऊपर यथानिर्दिष्ट सांविधिक प्रावधान को देखते हुए, उस मतदान क्षेत्र में, जहां विधान सभा के लिए निर्वाचन आयोजित किए जाने निर्धारित हैं, निर्वाचन के लिए मतदान दिवस के संबंध में आयोग की अधिसूचना में यथा-इंगित मतदान के समापन के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले **48** घंटों की अवधि के दौरान, यथा-उपयुक्त संगत राज्य कानून के अन्तर्गत 'शुष्क दिवस' घोषित और अधिसूचित किया जाएगा। इसमें पुनर्मतदान की तिथियां, यदि कोई हों, भी सम्मिलित होंगी।

**3.** इसके अतिरिक्त आयोग ने यह नि देश दिया है कि वह तारीख जिस दिन हिमाचल प्रदेश के लिए मतों की गणना की जानी है, भी राज्य में संगत कानूनों के अन्तर्गत 'शुष्क दिवस' घोषित की जाएगी।

4. पूर्वोक्त दिनों में मदिरा की बिक्री करने/परोसने वाली किसी भी मदिरा की दुकानों, होटलों, रेस्तरां, क्लबों और अन्य प्रतिष्ठानों को, किसी भी व्यक्ति चाहे वे जो भी हों, मदिरा को, बेचने/ परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**5.** इन दिनों में गैर-मालिकाना क्लबों, सितारा होटलों, रेस्तरां आदि और किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित होटलों को भी मदिरा परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी भले ही उन्हें रखने और उसकी आपूर्ति करने के लिए भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लाइसेंस क्यों न जारी किए गए हों।

**6.** उपर्युक्त समयावधि के दौरान व्यक्ति–विशेष द्वारा मदिरा का भंडारण किए जाने में कटौती की जाएगी और गैर-लाइसेंसशुदा परिसरों में मदिरा के भंडारण पर उत्पाद-शुल्क कानून में दिए गए प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू किया जाएगा।

**7.** आयोग नि देश देता है कि राज्य सरकार उपर्युक्त उपायों को सख्ती से लागू करेगी। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी संबंधित प्राधिकारियों को उपर्युक्त निषेधों को लागू करने तथा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष मतदान के शांतिपूर्ण एवं सुचारू संचालन में निर्वाचन प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए उपयुक्त एवं विधिक दृष्टि से प्रभावी उपाय करने के लिए विस्तृत एवं व्यापक अनुदेश जारी करें।

**8.** कृपया इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,
**ह./-**
**(सुमित मुखर्जी)**
**सचिव**

प्रति:- संबंधित जोनल अनुभाग